शहरी के लिए देहाती की गवाही जायज़ नहीं।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना है : “शहरी के लिए देहाती की गवाही जायज़ नहीं।” [सह़ीह़] [इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है । - इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।]

http://sunnah.global/hadeeth/hi/show/64693